न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/00089 **दायरा दिनांक : 05.03.2018**

उनवान

श्रीमति नीलू धर्म पत्नि श्री महेन्द्र कुमार पुत्री श्री रामभरोस, जाति काछी, निवासी ग्राम फूल बडोदा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– श्री रामगोपाल आत्मज श्री खेमा, जाति काछी, निवासी ग्राम कुण्डी, तहसील अटरू, जिला बारां
2– श्रीमति मांगीबाई धर्म पत्नि श्री नैनकराम पुत्री श्री बाल्या, जाति काछी, निवासी ग्राम फूल बडोदा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
3– श्रीमती भरोसीबाई पत्नि श्री बृजमोहन पुत्री श्री बाल्या जी, जाति काछी, निवासी ग्राम गोरधनपुरा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
4– लटूर आत्मज श्री सोमत्या, जाति काछी
5– किशनलाल आत्मज श्री सोमत्या, जाति काछी
6– दुर्गालाल आत्मज श्री सोमत्या, जाति काछी
7– श्रीमती घीसी बाई विधवा पत्नी श्री सोमत्या, जाति काछी
8– कजोडीलाल आत्मज श्री कंवरलाल जी, जाति काछी
9– श्रीमती रामी बाई धर्म पत्नि श्री रामनाथ जी, जाति चमार
निवासीगण ग्राम कुण्डी, तहसील अटरू, जिला बारां
10– दी स्टेट ऑफ राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री राजेश शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2, 3 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित ।

निर्णय **दिनांक : 14.09.2023**

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 91/2007 अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निर्णय दिनांक 04.01.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2— अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रामगोपाल ने एक दावा पेश कर अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया कि वाके ग्राम एवं माल कूण्डी, तहसील अटरू, जिला बारां में खाता संख्या 92 की खसरा नम्बर 75 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 157 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 179 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 196 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बरे 764 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1348 रकबा 1 बिस्वा कुल 6 किता रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा भूमि देवा, बाल्या, सोमत्या, राधाकिशन, गोपाल के खाते एवं कब्जे में चली आ रही थी। बाद सैटलमेंट विवादित आराजी के नये खसरा नं. एवं रकबा निम्न प्रकार है —

क्र. सं.	पुराना खसरा नम्बर	रकबा बीघा में	नया खसरा नम्बर	रकबा हेक्टर में
1	75	03.19	101	0.63
2	196	05.13	647	0.02
			648	0.19
			650	0.45
			648/2280	0.29
3	179	04.10	686	0.01
			687	0.42
			687/2061	0.32
4	157	05.10	717	0.88
5	764	02.15	730	0.44
6	1348	00.01	958	0.01
	कुल किता 6	22.08	कुल किता 11	3.66

3— विवादित आराजी को देवा, बाल्या, सोमत्या, राधाकिशन, गोपाल पांचों भाई अपने जीवनकाल तक मुताबिक बंटवारा काश्त करते चले आ रहे थे।

4— अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के निर्णय दिनांक 04.01.2018 के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार कर ग्राम कूण्डी के नामान्तरकरण संख्या 143, 422 दिनांक 02.06.2004 व इन्तकाल नम्बर 532 दिनांक 04.12.1977 को प्रभावशून्य घोषित कर वादी कम 2 व 3 को खसरा नम्बर 730 रकबा 0.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 648/2280 रकबा 0.29 हेक्टर में से 0.19 हेक्टर का खातेदार कृषक घोषित कर वादी कम 1 को खसरा नम्बर 648/2280 का शेष 0.10 हेक्टर व खसरा नम्बर 647 रकबा 0.02 हेक्टर का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर पृथक से खाता दर्ज किये जाने के आदेश दिये। प्रतिवादी कम 1 जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी न करें, तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। डिकी पर्चा जारी हो ।

5— अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिकी अधीनस्थ न्यायालय कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

6– अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 का दावा बाबत हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण अपीलांट डिक्री करने में त्रुटि की है।

7– अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद में दादरसी सहित कुल 8 तनकीयात कायम की थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न तो तनकीवार निर्णय दिया और न पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शहादत को एप्रीशियेट ही किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व्यवहार प्रकिया संहिता के आर्डर 20 नियम 4(2) एवं नियम 5 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

8– अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि पक्षकारान के मध्य पूर्व निर्णित वाद संख्या 106/2004 बउनवान नीलू बनाम रामगोपाल वगैरा तारीख निर्णय दिनांक 10.05.2007 में इस वाद में निर्णय ग्राम कुण्डी की खसरा नम्बर 730 रकबा 0.44 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 648/2280 रकबा 0.29 हेक्टर भूमि का अपीलांट को खातेदार टीनेन्ट होना मानकर पूर्व वाद में प्रतिवादीगण एवं वर्तमान वाद में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 3 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की गई थी, उक्त निर्णय एवं डिक्री के प्रभावशील होते हुए वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 द्वारा वाद डिक्री करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है।

9– प्रस्तुत वाद में पूर्व सहखातेदार श्री गोपाल आवश्यक पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे पक्षकार बनाये बिना पेश किये गये वाद को मेंटेनेबल होना मानकर गोपाल को सुने बिना ही उसके खाते की 647 की 0.02 हेक्टर भूमि का खातेदार वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 को घोषित करते हुए निर्णय एवं डिक्री जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है।

10– प्रस्तुत वाद में पूर्व सहखातेदार श्री देवा के वारिसान को पक्षकार बनाये बिना ही वाद पेश किया गया था जो मेन्टेनेबल नहीं होते हुए भी वादीगण रेस्पोडेंट के पक्ष में वाद डिक्री करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है।

11– अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि पूर्व सहखातेदारान सर्व श्री देवा, बाल्या, सोमत्या, राधाकिशन एवं गोपाल के मध्य दावा पेश करने के 40 वर्ष पूर्व से अधिक समय पूर्व समस्त खातेदारान के मध्य आपस में भूमि एवं अन्य सब सम्पत्ति, नगदी, जेवरात, जानवर आदि का बंटवारा हो गया था तथा श्री बाल्या जी के कोई लड़का नहीं होने एवं उनका राधाकिशन जी के साथ ही रहने के कारण उन्होंने जमीन में कोई हिस्सा नहीं लेकर सिफ नकद एवं जेवर ही लिये थे जो उन्होंने अपनी लड़कियों को दे दिये थे। बाल्या जी इस बंटवारे से सहमत थे इसलिए उन्होंने इस बंटवारे का अपने जीवनकाल में कभी भी विरोध नहीं किया एवं इस बंटवारे पर कायम है। अब वादीगण रेस्पोडेंट को इस बंटवारे का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

12– बाद बंटवारा श्री राधाकिशन जी बंटवारे में आयी भूमि पर बहैसियत खातेदार टीनेन्ट स्वयं काबिज होकर काश्त करने लग गये थे तथा उनके बाद उनके पुत्र श्री रामभरोस एवं उनके बाद प्रतिवादिनी अपीलांट नीलू इस भूमि पर काबिज काश्त कर रही है। इसकी वादीगण रेस्पोडेंट को भी जानकारी है। इसलिए वादीगण रेस्पोडेंट द्वारा पेश किया गया वाद मियाद बाहर होने से भी निरस्तनीय था।

13– वादीगण रेस्पोडेंट को दावा पेश करने के चालीस वर्ष पूर्व हुए बंटवारे को चेलेन्ज करने का कोई अधिकार नहीं है।

14– वादीगण रेस्पोडेंट नं. 2 व 3 का भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। अतः बिना कब्जे की रिलीफ मांगे हक घोषणा का वाद मेंटेनेबुल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलांट के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करने में त्रुटि की है।

15– अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय एवं डिक्री जैर अपील निरस्त फरमाया जावे तथा दावा वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

16– अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

17– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया और अपने पक्ष के समर्थन में निम्न नजीरें पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

1– 2011 (1) आर.आर.टी. पेज 93
2– 2015 (2) आर.आर.टी. पेज 1283
3– 2015 (2) आर.आर.टी. पेज 813
4– 2016 (1) आर.आर.टी. पेज 277
5– 2018–19 (सप्लीमेन्ट्री) आर.आर.टी. पेज 143
6– 2021 (1) सी.जे. (सिविल.) (एस.सी.) पेज 345
7– 2002 (एस.सी.) डी.एन.जे. पेज 168

18– अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

19– हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 2 व 4 की उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

20– दौराने बहस व प्रस्तुत अपील में अभिभाषक अपीलांट द्वारा यह कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद में दादरसी सहित कुल आठ तनकीयात कायम की थी परन्तु परीक्षण न्यायालय ने न तो तनकीवार निर्णय पारित किया और न ही पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शहादत को एप्रीशियेट किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 20 नियम 4 (2) एवं नियम 5 के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.01.2018 एवं पत्रावली के अवलोकन से अभिभाषक अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि होना पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दौराने वाद दिनांक 23.03.2010 को कुल आठ तनकीयात कायम की गई जो शामिल पत्रावली है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया। साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी जो दौराने वाद लेखबद्व की गई थी उसे अपने निर्णय का' भाग या विश्लेषण का आधार नहीं बनाया है। अतः यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.01.2018 को निर्णित करने में आदेश 20 नियम 5 सीपीसी की पालना नहीं की है।

21– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.01.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारों को सुनकर आदेश 20 नियम 5 सीपीसी की पालना करते हुये पुनः विधि सम्मत रूप से प्रकरण में तन्क़ीवार निर्णय पारित करें । उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.11.2023 को उपस्थित होवें ।

22– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/09/23

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा